न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 107/2022

मोहरसिंह उम्र 76 वर्ष पुत्र मोती जाति जाट निवासी हमीरी कला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदक

वकील वादी – श्री विजयसिंह लालपुरिया

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने वर्तमान नक्शा सर्वे सीट हाल ख0न0 183 वाके ग्राम हमीरी कला

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.07.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हमीरी कला पटवार हल्का हमीरी कला की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 79 व 80 तादादी 3 बीधा 11 बिश्वा हाल ख0न0 183 तादादी 0.90 है0 भूमि अवस्थित है। जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त भूमि पर आवेदक आवारा पशुओं से फसल की रखवाली के लिये तारबन्दी वगैरह करना चाहता है जिसके लिये आवेदक ने अपने वर्तमान नक्शे की नकल प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने उक्त भूमि के रिकार्ड मुताबिक नक्शे में भूमि का माप कम होना जाहिर किया जबकि गत नक्शा सर्वे सीट की नकल लेने पर रिकार्ड के मुताबिक माप सही है इसलिये आवेदक वर्तमान नक्शा सर्वे सीट को गत नक्शा सर्वे सीट के आधार पर दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अन्त में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस की गत नक्शा सर्वे सीट के अनुसार सही तरमीम करवाकर नक्शा सर्वेसीट को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 389 दिनांक 09.03.2023 में अंकित किया है कि ख0न0 183 रकबा 0.90 है0 भूमि गत ख0न0 79 व 80 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा से बने है जिसकी खातेदारी मोहरसिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0न0 183 का रकबा 0.83 है0 बैठता है जो कि जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.07 है0 कम है। वर्तमान ख0न0 183 का वर्तमान नक्शा ट्रेस का गत नक्शा ट्रेस सम्वत 1993 से मिलान किया गया। गत नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में भिन्नता है। गत नक्शा ट्रेस से वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार लाल पैन से दर्शायी अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में शुद्वी किया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान नक्शा ट्रेस को दुरूस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा ख0न0 183 रकबा 0.90 है0 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को गत नक्शा सर्वे सीट के अनुसार दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार मलसीसर ने भी अपनी रिपोर्ट में वर्तमान नक्शा ट्रेस को लाल पैन से दर्शायी अनुसार शुद्वी किया जाना उचित बताया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 183 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम हमीरी कलां के वर्तमान नक्शा सीट को तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/7/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर